

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण—पत्र

कार्य का नाम — सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि सड़क परियोजना के लिए पर्याप्त है, भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।



अधिशासी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद
न्यूनतम भूमि की अण्डरटेकिंग
कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी
प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि
(2.68हैक्टेयर) चाही गयी है।


अधिशासी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

इस परियोजना हेतु 2.68 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में
जो एन.पी.वी. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी, नियमानुसार देय होगी। एवं सा.नि.वि.
उक्त राशि जमा करा देगा।

अधिशासी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

वचन बद्धता का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा
उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा
तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी,
उसे सा.नि.वि. देने को तैयार होंगे।



अधिशासी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम श्रमिक दर बढ़ने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान सा.नि.वि. द्वारा कर दिया जाएगा।

अधिशासी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को सड़क निर्माण के काम में लिया जावेगा इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।



अधिशासी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

सड़क निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जावेगी वो वन क्षेत्र से नहीं ली जावेगी चाहे वो बोरो पिट हो।

वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।



अधिशासी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य बीची से रामपुर उपरेटी

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सड़क का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।



अधिशासी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद